—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर) :—

पीठासीन अधिकारी :— श्री मुकेश कुमार चौधरी (आर. ए. एस.)
राजस्व वाद संख्या :— 249 / 12

उनवान

1. भंवरलाल पुत्र बींजालाल जाति खाती निवासी विश्वकर्मा नगर दिलवाडा, नसीराबाद
—— वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
—— प्रतिवादी :— जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92अ राज. काश्त. अधि. 1955 व धारा 131 व 136 भू. राज. अधि. 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 9.1.19

वाद के आवश्यक तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बारापत्थर के हाल खसरा नम्बर 333 / 1463 रकबा 0.13 की आराजी वादी की क्रयशुदा है। उक्त आराजी के साबिक खसरा नम्बर 2796 मिन रकबा 0.27 में से 0.13 की आराजी वादी ने क्रय कर मौके पर कब्जा व दखल प्राप्त कर लिया था। किन्तु हाल नक्शा बनातें समय राजस्व मानचित्र में उक्त खसरा नम्बर का अंकन नही किया गया है। उपरोक्त आराजी राष्ट्रीय राजमार्ग से लगती हुयी है। व हाल नक्शे में गलत तरमीम हुयी है। अतः आराजी मुतनाजा के वंर्किग नक्शे अनुसार हाल नक्शे में तरमीम की जावे। इस आशय की खातेदारी उद्धोषणा बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी फरमाई जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवदेन किया कि खसरा नम्बर 276 मिन रकबा 0.27 में से 0.13 साबिक नक्शे में भी अलग नही दर्शाया है। हाल नक्शे में वंर्किग नक्शे अनुसार तरमीम नही होने का कथन गलत है। अतः वाद खारिज योग्य है।

वाद पत्र व जवाब दवे के आधार पर प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :—

1. आया वर्तमान राजस्व मानचित्र त्रुटिपूर्ण होने से वादी अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम कराने का अधिकारी है ?
—— वादी
2. अनुतोष ?

(मुहर: न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला - अजमेर))

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

अधिवक्ता वाद ने वाद के समर्थन में प्रदर्श 1 से 4 राजस्व अभिलेख पेश किये एवं वादी भंवरलाल के मौखिक बयान दर्ज करवाये।

तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भू प्रबन्ध विभाग द्वारा हाल खसरा नम्बर 333/1463 की तरमीम नही की गयी है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 79 की तरमीम नही होने से वंर्किंग नक्शा, हाल नक्शा तथा मौके पर तुलनात्मक भिन्नता आ गयी। अतः तुलनात्मक भिन्नता के कारण वर्तमान नक्शे में तरमीम किया जाना संभव नही है।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी ने कथन किया कि वादी द्वारा खसरा नम्बर 276 में से जो रकबा क्रय किया उसकी तरमीम करने का दायित्व राजस्व अधिकारी व कार्मिको का था। राष्ट्रीय राजमार्ग व वादी के खेत की तरमीम नही होने का कथन राज0 पैरोकार ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जावे।

राज0 पैरोकार ने दौराने बहस कथन किया कि खसरा नम्बर 276 मिन रकबा 0.27 में से 0.13 साबिक नक्शे में भी अलग नही दर्शाया है। हाल नक्शे में वंर्किंग नक्शे अनुसार तरमीम नही होने का कथन गलत है। अतः वाद खारिज योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :—

तनकी संख्या 1 :—

वादी ने वंर्किंग खसरा नम्बर 276 मिन रकबा 0—16—0 की आराजी जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय की है। उक्त खसरा नम्बर में से वादी ने आशिंक हिस्सा क्रय किया है जिसकी तरमीम नामान्तकरण दर्ज करते समय की जानी चाहिये थी किन्तु वंर्किंग मानचित्र में वादी के क्रयशुदा आराजी की तरमीम नही की गयी व हाल राजस्व मानचित्र में भी आराजी मुतनाजा के हाल खसरा नम्बर 333/1463 रकबा 0.13 की तरमीम नही की गयी। आराजी मुतनाजा के हाल खसरा नम्बर 33 रकबा 0.27 बने है जिसमें से वादी के नाम खसरा नम्बर 333/1463 रकबा 0.13 हाल जमाबंदी में खातेदारी के रूप में दर्ज है उक्त खसरा नम्बर में वादी के क्रयशुदा रकबे को जमाबंदी में अलग नम्बर दे दिया है किन्तु राजस्व मानचित्र में उक्त खसरा नम्बर की तरमीम नही की गयी है। **भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध कार्यवाही समाप्त होने के बाद राजस्व मानचित्र को आंदिनाक व सही रखने एवं पायी गयी त्रुटि दुरूस्त करने का कर्त्तव्य भू अभिलेख अधिकारी का** है। प्रस्तुत प्रकरण में वर्तमान राजस्व मानचित्र त्रुटिपर्ण सिद्व होता है। राज0 पैरोकार का कथन है कि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा हाल खसरा नम्बर 333/1463 की तरमीम नही की गयी है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 79 की तरमीम नही होने से वंर्किंग नक्शा, हाल नक्शा तथा मौके पर तुलनात्मक भिन्नता आ गयी। अतः तुलनात्मक भिन्नता के कारण वर्तमान नक्शे में तरमीम किया जाना संभव नही है। किन्तु जब वर्तमान राजस्व मानचित्र को राज0 पैरोकार द्वारा त्रुटिपूर्ण माना जा रहा है तो उसकी तरमीम करने की जिम्मेदारी भी राजस्व अधिकारी व कार्मिक की ही है। तरमीम के अभाव में राजस्व अभिलेख आदिनांक नही होगा व वादी के हितों पर विपरित असर पडेगा। वही प्रकरण में राजस्व नक्शे में तरमीम की जाती है तो प्रतिवादी के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2067 से 70 में उसे खसरा नम्बर 333/1463 रकबा 0.13 का खातेदार अंकित किया है उक्त खसरा नम्बर मूल खसरा नम्बर 333 का भाग है। जमाबंदी के अनुरूप खसरा नम्बर 333/1463 का अंकन राजस्व मानचित्र में होना भी आवश्यक है। उक्तानुसार तनकी संख्या 1 बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी निर्णत की जाती है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

अतः ग्राम बारापत्थर के हाल खसरा नम्बर 333/1463 रकबा 0.13 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद आराजी मुतनाजा पर वंर्किग मानचित्र व हाल राजस्व मानचित्र की तुलना कर पाई गयी भिन्नता को दुरूस्त करावे व वादी के खातेदारी खसरा नम्बर 333/1463 की तरमीम राजस्व मानचित्र में करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला अजमेर)

डिकी व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

भंवरलाल बनाम राज0 सरकार

दावा बाबत :– 88, 188, 92अराज. का. अधि0 1955 व 131, 136 भू राज. अधि.1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 249/2012
पेश करने की दिनांक – 5.11.12

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू मुकेश कुमार चौधरी (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुद्दई व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि :–

ग्राम बारापत्थर के हाल खसरा नम्बर 333/1463 रकबा 0.13 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद आराजी मुतनाजा पर वर्किंग मानचित्र व हाल राजस्व मानचित्र की तुलना कर पाई गयी भिन्नता को दुरूस्त करावे व वादी के खातेदारी खसरा नम्बर 333/1463 की तरमीम राजस्व मानचित्र में करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करें।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 3 माह 1 सन् 2018 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner